

क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम: Facility Based Newborn Care

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): SNCU Data management

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर): A.2.2.1.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण: राज्य में शिशु मृत्यु दर कम करने हेतु Facility Based Newborn Care(FBNC) के तहत सभी जिला अस्पताल तथा मेडिकल कालेज अस्पताल में SNCU की स्थापना की जा रही है । जिसके द्वारा बीमार शिशुओं को विशेष सेवा प्रदान की जा रही है । जिला अस्पताल में SNCU के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान किया जा रहा है :

Care at Birth including resuscitation of asphyxiated newborns, postnatal care, follow up of high risk newborns, referral services, immunization services.

कार्यरत SNCU के द्वारा दी गयी सुविधाओं का मासिक प्रतिवेदन राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को उलब्ध कराया जाना है तथा इस वित्तीय वर्ष से भारत सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन रिपोर्टिंग की जानी है । जिस हेतु इस बजट शीर्ष में online reporting हेतु आउटसोर्स के तहत SNCU Data Management के लिए डाटा ऑपरेटर रखे जाने का प्रावधान है।

इकाई राशि (रु० में) :11000/प्रतिमाह/डाटा ऑपरेटर

वित्तीय दिशा निर्देश :

SNCU Data Management-operator की उपलब्धता राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के State Data Centre के द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्स /11000/प्रति माह/ऑपरेटर की दर से किया जाना है।

S. No.	Particulars	Cost per month (in Rupees) (inclusive of all taxes)
1	Laptop/coputer with UPS:- (With Web Camera)	1300/-
2	Laser Printer with Scanner	600/-
3	Telephone/ Mobile	500/-
4	Internet Connection (with unlimited uploading & downloading facilities)	1000/-
5	Computer Operator Salary	6500/-
6	Misc. (Pen Drive, Paer, CD, Travelling, others)	1100/-
	Total cost for One Data operator per month inclusive of all taxes	11,000/-

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क)SHSB/Gen. Admin/443/2011/94, दिनांक:08.01.14

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी नाम – डॉ० बी.के.मिश्र, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/श्री गौरव कुमार –उपनिदेशक, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार ।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का फोन नं० : 7759860705 /9431005972



क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम: Facility Based Newborn Care

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): विशेष नवजात देखभाल ईकाई (Special Neonatal Care Unit) का परिचालन लागत

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): A.2.2.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : राज्य में शिशु मृत्यु दर कम करने हेतु Facility Based Newborn Care(FBNC) के तहत सभी जिला अस्पताल तथा मेडिकल कालेज अस्पताल में SNCU की स्थापना की जा रही है । जिसके द्वारा बीमार शिशुओं को विशेष सेवा प्रदान की जा रही है । जिला अस्पताल में SNCU के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान किया जा रहा है :

Care at Birth including resuscitation of asphyxiated newborns, postnatal care, follow up of high risk newborns, referral services, immunization services.

इस बजट शीर्ष में SNCU को संचालित करने हेतु Operational Cost के लिए आवश्यक राशि का प्रावधान किया गया है ।

इकाई राशि (रु० में) : – 2,77,778 /SNCU/त्रैमासिक

वित्तीय दिशा निर्देश :

इसके अंतर्गत संबंधित वैसे उपकरणों(यदि यूनीसेफ के द्वारा भी आपूर्ति किया गया हो, तो उसका भी मरम्मत किया जा सकता है) के रखरखाव, जिसका वारंटी एवं AMC(Annual Maintainance Contract) समाप्त हो गया हो एवं यदि आवश्यक हो तो इसकी मरम्मत हेतु एवं SNCU के संचालन हेतु आवश्यक Consumables/POL में इसका व्यय किया जाएगा। जिला स्वास्थ्य समिति यह राशि सदर अस्पताल को आवंटन करेगी, जहां SNCU कार्यरत है। किसी भी परिस्थिति में इस राशि को जिला स्तर पर आवंटित नहीं किया जाएगा। इस गतिविधियों के अंतर्गत किए गए कार्यों का भुगतान बिहार सरकार के वित्तीय नियमावली 2005 के अनुसार किया जाएगा ।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी नाम – डॉ० बी.के.मिश्र, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/श्री गौरव कुमार –उपनिदेशक, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार ।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का फोन नं० : 7759860705/9431005972

Annexure -3

क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम: Facility Based Newborn Care

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): नवजात शिशु स्थिरीकरण ईकाई (NBSU) की परिचालन लागत

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर): A.2.2.2

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : 40 अनुमंडलीय एवं रेफरल अस्पताल में Newborn Stabilization Unit की स्थापना किया जा रहा है। यह NBSU प्रसूति वार्ड में या प्रसूति वार्ड के निकट स्थापित किया जाना है। जहाँ पर तुरंत बीमार/कम वजन वाले शिशुओं का उपचार किया जाएगा। वर्तमान में 40 NBSU में से 22 NBSU की स्थापना की जा चुकी है। शेष 18 NBSU इस वित्तीय वर्ष में क्रियान्वित किया जाना है। इस बजट शीर्ष में कार्यरत 22 NBSU के Operational cost का प्रावधान किया गया है।

ईकाई राशि (रु० में) :100000/-NBSU/वार्षिक

वित्तीय दिशा निर्देश :

इसके अंतर्गत संबंधित वैसे उपकरणों के रखरखाव, जिसका वारंटी एवं AMC(Annual Maintenance Contract) समाप्त हो गया हो तथा यदि आवश्यक हो तो इसकी मरम्मत हेतु एवं नवजात शिशु स्थिरीकरण ईकाई(NBSU) के संचालन हेतु आवश्यक Consumables में इसका व्यय किया जाएगा। जिला स्वास्थ्य समिति यह राशि प्रथम रेफरल ईकाई वाले संस्थान को आवंटन करेगी, जहां NBSU कार्यरत है। किसी भी परिस्थिति में इस राशि को जिला स्तर पर आवंटित नहीं किया जाएगा। इस गतिविधियों के अंतर्गत किए गए कार्यों का भुगतान बिहार सरकार के वित्तीय नियमावली 2005 के अनुसार किया जाएगा।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क)

(ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी नाम – डॉ० बी.के.मिश्र, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/श्री गौरव कुमार –उपनिदेशक, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का फोन नं० : 7759860705/9431005972

Annexure -3

क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम:

Facility Based Newborn Care

बजट/एफ०एम०आर०शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): नवजात शिशु देखभाल कक्ष (NBCC) का परिचालन लागत

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर): A.2.2.3

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : राज्य में कुल 496 नवजात शिशु देखभाल कक्ष कार्यरत हैं । जिसके लिये प्रति NBCC ₹12000/- आवंटित की जा रही है । इसके अंतर्गत संबंधित वैसे उपकरणों के रखरखाव, जिसका वारंटी एवं AMC(Annual Maintenance Contract) समाप्त हो गया हो तथा यदि आवश्यक हो तो इसकी मरम्मत हेतु एवं नवजात शिशु देखभाल कक्ष के संचालन हेतु आवश्यक Consumables में इसका व्यय किया जाएगा ।

इकाई राशि (रु० में) :12000/NBCC

वित्तीय दिशा निर्देश : जिला स्वास्थ्य समिति उन्हीं स्वास्थ्य संस्थानों को यह राशि आवंटित करेगी जहां NBCC कार्यरत है । किसी भी परिस्थिति में इस राशि को जिला स्तर पर आवंटित नहीं किया जाएगा । इस गतिविधियों के अंतर्गत किए गए कार्यों का भुगतान बिहार सरकार के वित्तीय नियमावली 2005 के अनुसार किया जाएगा ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क)

(ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी नाम – डॉ० बी.के.मिश्र, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/श्री गौरव कुमार –उपनिदेशक, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार ।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का फोन नं० : 7759860705/9431005972

12